हरियाणा विधान सभा

बजट सत्र 2026

तारांकित प्रश्न

23 फ़रवरी, 2026

कुल प्रश्न 20

अस्पतालों को भूमि आवंटन करने के लिए नियम एवं शर्तें

*1 **चौ. आफ़ताब अहमद (नूंह):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:

क)गुरुग्राम तथा फरीदाबाद जिलों में अस्पतालों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है तथा उनके नाम तथा अवस्थिति क्या है;

ख) सरकार द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के लिए निर्धारित नियम तथा शर्तें क्या है, जिनमें गरीब व्यक्तियों तथा रोगियों के लिए मुफ्त उपचार के प्रावधान से संबंधित विशिष्ट शर्तें सम्मिलित हैं;

ग) क्या यह तथ्य है कि ऐसे अस्पतालों में उक्त शर्तों के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को मुफ्त बाहरी तथा आंतरिक उपचार प्रदान करना आवश्यक है ;तथा

घ) यदि हां, तो उन गरीब व्यक्तियों या रोगियों की माह-वार तथा अस्पताल-वार संख्या कितनी है जिन्हें गत 5 वर्षों के दौरान इन अस्पतालों में बाहरी तथा आंतरिक उपचार प्रदान किया गया है?

मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना

*2 **श्री विकास सहारण (कलायत):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कलायत विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में स्मैक (हिरोइन), अवैध शराब तथा अन्य मादक पदार्थों जैसे नशे का दुरुपयोग अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक स्तर तक पहुँच गया है;

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 2023, 2024 तथा 2025 के दौरान कलायत विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों की कुल संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उन अभियुक्तों की संख्या कितनी है जिन्हें इस समय के दौरान न्यायालय द्वारा सफलतापूर्वक दोषी ठहराया गया है; तथा

(घ) कलायत में मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एच.एस.एन.सी.बी.) तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक क्या पग उठाए गए हैं?

जल भराव की समस्या का समाधान करना

*3 **श्री अनिल यादव (कोसली):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि कोसली में भाखली-II पंचायत में, रेलवे स्टेशन बाजार, बस स्टैंड तथा अनाज मंडी में व उसके आसपास के क्षेत्र में बरसात के मौसम में जल भराव की गंभीर समस्या है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिजाइन प्लान तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

नहरी जल की आपूर्ति बढ़ाना

*4 **श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि भिवानी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र की नहरी जल की आपूर्ति को लगातार कम किया जा रहा है, अर्थात् पूर्व में प्रति माह 30 दिनों तक जल आपूर्ति की जाती थी, तत्पश्चात इसे कम करके 15 दिन, उसके बाद 7 दिन कर दिया गया है तथा अब केवल 4 दिनों के लिए ही जल आपूर्ति की जा रही है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ख) क्या संबंधित वाई. डब्ल्यू. एस. सर्कल से भिवानी के लिए नहरी जल आपूर्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ट्रामा सेंटर का निर्माण करना

*5 **श्री निखिल मदान (सोनीपत):**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या जिला सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (एन.एच-44) पर एक ट्रॉमा सेंटर को स्थापित/निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शुद्धिपत्र को जारी करना या रिकॉर्ड का मिलान करके जी.आई.एस. पोर्टल को अपडेट करना

*6 **श्री घनश्याम दास (यमुनानगर):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या यह एक तथ्य है कि यमुनानगर में 1975 से बसे हुए आवासीय क्षेत्र को नियमित करने के लिए एक स्थानीय सरकारी विभाग राजपत्र अधिसूचना संख्या 8/22/95-6 सी.आई. दिनांकित 15/18 जुलाई, 1996 के माध्यम से " कॉलोनी" के स्थान पर "भवन" शब्द का प्रयोग किया गया था;

ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जी.आई.एस. पोर्टल के शुरू होने पर ये नियमित क्षेत्र अब 'अस्वीकृत' के रूप में दर्शाए जा रहे हैं क्योंकि पोर्टल "स्वीकृत क्षेत्रों" को परिभाषित करने के लिए 1961-62 के 'चकबंदी रिकॉर्ड' पर निर्भर करता है, इस प्रकार से, 1975 के बाद नियमित हुई कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया है;

ग) क्या यह भी एक तथ्य है कि इस तकनीकी कमी के परिणामस्वरूप सभी विकास कार्यों का निलंबन हुआ है तथा राज्य के निवासियों को संपत्ति पहचान पत्र (पी.आई.डी.) तथा भवन निर्माण के लिए अनुमतियों के संबंध में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं; तथा

घ) यदि हां, तो एक शुद्धिपत्र जारी करने या जी.आई.एस. पोर्टल को अपडेट करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं तथा इन कॉलोनियों को औपचारिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों के रूप में पुनः एकीकृत कब तक किए जाने की संभावना है?

लोक निर्माण विभाग के एक नए विश्राम गृह का निर्माण करना

***7 श्री जगमोहन आनन्द (करनाल):**

क्या लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार करनाल में लोक निर्माण विभाग के एक नए विश्राम गृह का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उपरोक्त विश्राम गृह का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़कों की मरम्मत करना

***8 श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर):**

क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) क्या यह तथ्य है कि झज्जर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र की निम्नलिखित सड़कें बहुत बुरी /जीर्ण -शीर्ण अवस्था में हैं:—

(i) रसालवाला चौक से भडाना—भदानी वाया गाँव खेड़ी आसरा तक;
(ii) मारोत से सूरजगढ़ सड़क;
(iii) गाँव तमासपुरा—फोर्टपुरा की पहुँच -मार्ग;
(iv) मातनहेल से गाँव बम्बुलिया तथा आगे गाँव खापड़वास तक;
(v) सांपला रोड से जुपिटर होटल तक नाले के साथ ;
(vi) गाँव खोरडा से मकडानी सड़क;
(vii) बिरोहड से सेहलंगा गाँव सड़क;
(viii) जमालपुर से भूरावास;
(ix) जमालपुर गाँव से झांसवा;
(x) कोयलपुर से खातीवास गाँव सड़क; तथा

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण या चौड़ीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

नालों को रि-मॉडल / पुनः निर्माण करना

***9 श्री चन्द्र प्रकाश (आदमपुर):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या यह तथ्य है कि आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर नालों को रि-मॉडल / पुनः निर्मित किए हुए लगभग 15 वर्ष से अधिक का हो चुका है;

ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन नालों की वर्तमान अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण है जिसके कारण किसानों को नहरी पानी का उनका अधिकृत हिस्सा नहीं मिल पा रहा है;

ग) क्या यह भी तथ्य है कि सरकार द्वारा नालों के पुनः निर्माण का कार्य इनके निर्माण से 20 वर्ष की अवधि, से पहले नहीं किया जा सकता;

घ) क्या किसानों की वास्तविक शिकायतों का निवारण करने के लिए नालों, जो कि 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, को पुनः निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

ड.) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यन्वित किए जाने की संभावना है?

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी) में परिवर्तित करना

***10 श्री रघुबीर तेवतिया (पृथला):**

क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि पृथला विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव जनौली में पहले से निर्मित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) वर्तमान में कार्यात्मक नहीं है; तथा

(ख) क्या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) जनौली, जिला पलवल को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी) संस्थान में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नीति लागू करना

***11 श्रीमती रेनू बाला (साढौरा):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि: –

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एस.सी.) कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की नीति को राज्य में लागू नहीं किया गया है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही नीति क्या है; तथा

(ग) राज्य में अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वामित्व अधिकार प्रदान करना

*12 **श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :

क) क्या यह तथ्य है कि शिवाजी कॉलोनी मार्केट में स्थित 41 दुकानें नगर निगम, रोहतक के स्वामित्व में हैं तथा इन दुकानों का हस्तातंरण मार्ग के अधिकार की आपत्ति के साथ रद्द कर दिया गया है;

ख) क्या अब यह सरकार के संज्ञान में आया है कि उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं थी तथा वास्तव में नगर निगम, रोहतक से सम्बन्धित है, जिन्होंने उक्त दुकानों का निर्माण कराया था;

ग) क्या यह भी तथ्य है कि उक्त दुकानों का किराया 25 वर्षों से भी अधिक समय से नगर निकाय द्वारा एकत्रित किया जा रहा है ; तथा

घ) क्या एक विशेष मामले के रूप में उपरोक्त दुकानों के स्वामित्व अधिकार देने तथा उक्त दुकानों को वर्तमान अधिभोगियों के नाम हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

भूमिगत पाइपलाइन बिछाना तथा ड्रेन को पक्का करना

*13 **श्री राम करण (शाहबाद):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) क्या शाहबाद में नौ गजा पीर से ढल्ला माजरा तथा शांति नगर वाया मद्दीपुर, नलवी, शहजादपुर तथा बरवलिया तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

ख) क्या यह एक तथ्य है कि गांव रावा से वाया शाहबाद शुगर मिल से होते हुए गांव मसाना तक बहने वाला कच्चा नाला में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण स्थानीय किसानों की फसलें खराब होती है;

ग) क्या कृषि हानि को रोकने के लिए उपरोक्त नाले को कंक्रीट से पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

एथलीटों तथा प्रशिक्षकों के लिए स्वीकृत तथा वितरित स्कॉलरशिप की कुल राशि

*14 **श्री आदित्य सुरजेवाला (कैथल):**

क्या खेल राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) वर्ष 2019 से अब तक नकद पुरस्कार योजना तथा स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत पात्र एथलीटों तथा प्रशिक्षकों से प्राप्त, स्वीकृत तथा वर्तमान में लंबित आवेदनों की कुल संख्या कितनी है तथा उनका वर्ष-वार, माह-वार तथा पदक-वार ब्यौरा क्या है;

ख) उपर-वर्णित अवधि के दौरान पात्र एथलीटों तथा प्रशिक्षकों को पदक-वार, माह-वार तथा वर्ष-वार कुल स्वीकृत नकद राशि के विरुद्ध वास्तविक रूप से कितनी राशि वितरित की गई है;

ग) वर्ष, 2019 से आउटस्टैंडिंग स्पोर्टस पर्सन (ओ.पी.एस.) तथा इलिजिबल स्पोर्टस पर्सन (ई.एस.पी.) कोटे के अन्तर्गत एथलीटों को वर्ष-वार तथा माह-वार कुल कितनी नौकरियों की पेशकश दी गई तथा उनके द्वारा कितनी नौकरियों पर सफलतापूर्वक कार्य ग्रहण किया गया ; तथा

घ) वर्ष 2019 से क्वालीफाइंग अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के लिए एथलीटों तथा प्रशिक्षकों के लिए पदक-वार, माह-वार तथा वर्ष-वार स्वीकृत तथा वितरित की गई कुल राशि कितनी है?

सड़कों का पुनःनिर्माण कार्य शुरू करना

*15 **श्री देवेन्द्र हंस (गुहला):**

क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि कैथल- टटियाना सड़क, चीका -दीवाना सड़क तथा गुहला-खरका सड़क बहुत सारे गड्डों के साथ अत्यंत जीर्ण -शीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि सड़कों की मरम्मत अस्थाई बिटुमिनस पेंचवर्क तक ही

सीमित है, जो लगने के कुछ सप्ताहों में ही उखड़ जाते हैं जिससे जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है;

(ग) उपरोक्त सड़कों के निर्माण, अस्थाई पेंचवर्क तथा रखरखाव से संबंधित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उठाए जाने की संभावना है; तथा

(घ) उपरोक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य के कब तक शुरू तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

बांधों का निर्माण करना

*16 **श्री देवेंन्द्र कादियान (गन्नौर):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) गन्नौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यमुना नदी के साथ लगते गांवों में बाढ़ को रोकने के लिए बांधों (तटबंध) का निर्माण करने के सरकार के प्रस्ताव की स्थिति क्या है; तथा

ख) उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

भारतीय खाद्य निगम गोदाम (एफ.सी.आई) को स्थानांतरित करना

*17 **सरदार जरनैल सिंह (रतिया):**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) के गोदाम को रतिया शहर से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार की विचाराधीन है; तथा

ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के स्थानातंरण के पश्चात उसके मौजूदा स्थान पर पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति

*18 **श्री राम कुमार कश्यप (इंद्री):**

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) राज्य में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (एम.पी.सी.एस.) की वर्तमान स्थिति क्या

है तथा लाभ एवं हानि में चल रही शाखाओं की क्रमशः जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियम अथवा मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बोनस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; तथा

(घ) उक्त बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में नए कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया अथवा मानदंड का ब्यौरा क्या है?

नहर की खुदाई का कार्य शुरू करना

*19 **श्रीमती मन्जु चौधरी (नांगल चौधरी):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे किः –

(क) क्या नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के बलवाटी क्षेत्र में नहर की खुदाई का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो उपरोक्त कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जांच कराना तथा मुआवजा प्रदान करना

*20 **श्री उमेद सिंह (बाढड़ा):**

क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि मार्च, 2025 में हुई तेज ओलावृष्टि के कारण बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि समान नुकसान होने के बावजूद इन्ही गांव के कुछ किसानों को मुआवजा मिला है जबकि अन्य को नहीं मिला;

(ग) क्या बाढ़डा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के ढाणी फोगाट, मकड़ाना, मकड़ानी तथा मौड़ी गांवों में जांच करवाने तथा शेष प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(घ)यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या है?